Dr M.K. Jha
Dept of Sociology
V.S.J college.
Rajnagar

B.A part-1
Sociology (Hons)
paper-1
Introduction to sociology.

Question - समिति क्या है? समिति और संस्था में अन्तर बताइए।

Answer - समाजशास्त्र में समिति को आवश्यकता पूरा करने का महत्वपूर्ण साधन माना गया है। जब कुछ व्यक्ति अपनी एक या अधिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग के आधार पर किसी संगठन का निर्माण करते हैं तब इसी संगठन को हम समिति कहते हैं।

Gillin and gillin ने कहा है कि "समिति व्यक्तियों का वह समूह है जो कुछ निश्चित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संगठित होता है तथा अनेक मान्यता प्राप्त कार्य-प्रणालियों और नियमों के अनुसार काम करता है।" आगे Macgver and page ने कहा है कि "An association is a group organized for the pursuit of an interest or group of interests in common" अर्थात् समिति के एक या कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। कुछ व्यक्ति अपने सामान्य हितों को लेकर ही एक समिति का गठन करते हैं, किसी उद्देश्यहीन समूह को समिति नहीं कहा जा सकता है। जैसे शैक्षणिक हितों पर विद्यालय, प्रशिक्षण केन्द्र सुधार-गृह ये सब समिति के उदाहरण है।

समाजशास्त्र में समिति व्यक्तियों का संगठन है जिसकी स्थापना विचारपूर्वक की जाती है प्रत्येक समिति का एक निश्चित उद्देश्य अवश्य होता है। समिति की सदस्यता ऐच्छिक या प्रयोजनमय माना गया है। प्रत्येक समिति सहयोग के आधार पर अपने सदस्यों की आवश्यकता पूर्ति करती है इसलिए समिति को उद्देश्य पूर्ति का एक साधन माना गया है जिसका

अध्ययन माना गया है।

संस्था - Institution - [illegible]
समाजशास्त्र में व्यवहार के [illegible]
प्रणालियों अथवा नियमों के [illegible]
संस्था कहा जाता है। संस्थाएँ [illegible]
की संकल्पना का आधार है। [illegible]
संस्थाएँ ही समितियों का कार्य [illegible]
करती है इसलिए समाजशास्त्र [illegible]
को सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन माना
गया है।

संस्था का तात्पर्य कभी भी
व्यक्तियों के संगठन से नहीं होता है बल्कि यह
अनेक नियमों, कार्यविधियों, तथा कार्य-
प्रणालियों की एक व्यवस्था है। यह कार्य-
विधियाँ बहुत से लिखित अथवा अलिखित
नियमों, परम्पराओं तथा रीतिरिवाजों के
रूप में होती है। जो विभिन्न समूहों के
कार्यवाही को प्रभावित करती है। [illegible]

and Keller के अनुसार [illegible]
संस्था वह नियम है जिसके द्वारा [illegible]
होता है तथा जिनका कार्य सामाजिक
आवश्यकताओं को पूरा करना [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

समिति तथा संस्था में निम्न अन्तर मान्य हैं जैसे:-

समिति	संस्था
1. समिति व्यक्तियों का एक संगठित समूह है।	1. संस्था अनेक नियमों तथा कार्यविधियों एवं प्रणाली की व्यवस्था है।
2. समिति मूर्त होती है	2. संस्था अमूर्त होती है।
3. समिति की स्थापना किसी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए होती है।	3. संस्था का विकास बहुत धीरे-धीरे एक लम्बी अवधि में होता है।
4. समिति व्यक्तिगत कल्याण से अधिक सम्बन्धित है।	4 संस्था सामूहिक कल्याण को अधिक महत्व देती है।
5. समिति की प्रकृति अस्थायी होती है।	5. संस्था का प्रकृति सांस्कृतिक होने के कारण अधिकस्थायी होती है।
6. समिति एक औपचारिक संगठन है।	6. अधिकांश सामाजिक संस्थाएँ स्वा अनौपचारिक होती है।
7. संस्कृति के विकास में समितियों का अधिक योगदान नहीं होती है।	7. संस्था सांस्कृतिक विरासत को स्थायी बनाती है।
8. समिति के अधिकांश प्रतीक भौतिक होते हैं	8. संस्था के प्रतीक सांस्कृतिक व्यवहार-विशेषताएँ द्वारा निर्धारित होती हैं।
9. समिति का कार्य-क्षेत्र केवल इसके सदस्यों तक ही सीमित रहता है।	9. संस्था का कार्य-क्षेत्र सम्पूर्ण समाज है।
10. समिति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तान्तरित नहीं होती है।	10 संस्था में हस्तान्तरण का गुण होता है।

अतएव यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक संस्था अनेक समितियों को संचालित एवं संगठित बनाये रखने में सहयोग देती है जबकि प्रत्येक समिति कुछ संस्थाओं के माध्यम से अपने उद्देश्यों को पूरा करती है।